न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /11 निगरानी — R-643-II/12

1:- बृजभान पुत्र रघुनाथ सिंह आयु 57 साल जाति लोधी धंधा खेती निवासी ग्राम बडेरा तह. चन्देरी जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश --------निगरानी कर्ता

विरूद्व

1/-गुलाब सिंह पुत्र जोरावल आयु 60 साल जाति लोधी

2:-अमरत सिंह पुत्र जोरावल आयु 50 साल जाति लोधी

3:-प्रीतम सिंह पुत्र जोरावल आयु 45 साल जाति लोधी

4:- तोरनसिंह पुत्र जोरावल आयु 58 साल जाति लोधी

5:-जसरथसिंह पुत्र नत्थूसिंह आयु 61साल जाति लोधी

6:- पटवारी ग्राम बडेरा तह. चन्देरी जिला अशोकनगर

सर्व निवासीगण ग्राम बडेरा तह. चन्देरी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश --------प्रतिनिगरानी कर्तागण

श्री ..... की ओर से श्री ..... अधिवक्ता द्वारा आज दि. 20.3.12 को प्रस्तुत

20.3.12

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू रा.संहिता विरूद्व आदेश दिनांक 28/12/11 प्र.क्र.1/10-11अपील पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी जिला अशोकनगर म.प्र. गुलाबसिंह आदि विरूद्व शासन जो तहसीलदार चन्देरी के प्र.क्र. 17अ6अ/06-07 के आदेश दिनांक 27/7/10 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानी कर्ता की निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के तथ्य

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी कर्ता द्वारा तहसीलदार चन्देरी के प्र.क्र.1324बी121/07-08 के आदेश दिनांक 22/3/10 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के न्यायालय मे प्र.क्र. 6/09-10अपील प्रति निगरानी कर्तागण के विरूद्व प्रस्तुतकी थी जिसमे प्रति निगरानी कर्तागण उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर रहे थे प्रति निगरानी कर्ता क्र.1 लगायत 4 ने तहसीलदार चन्देरी को एक आवेदन अपीलाधीन प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण मे पारित आदेशके संबंध मे प्रस्तुतकिया जिसे तहसीलदार चन्देरी के न्यायालय मे प्र.क्र.17अ6अ/06-07 पर पंजीबद्व किया गयाउक्त प्रकरण तहसीलदार चन्देरी ने दिनांक 27/7/10 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विषय वस्तु का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 643–दो/2012 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी , जिला–अशोकनगर के प्र0क्र0 1/10–11/अ. में पारित आदेश दिनांक 28.12.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडैरा, तहसील चन्देरी की प्रश्नाधीन भूमि पर जिसका सर्वे क्रमांक 239/2/2 रकबा 1.353 हैक्टेयर पर अनावेदकगण का स्वामित्व है। उक्त वादग्रस्त भूमि का नक्शा अनावेदकगण के भूमि के नक्शे के अनुरूप नहीं था, नक्शे की दुरूस्ती कर अनावेदकगण के भूमि के कब्जे के अनुरूप बनाये जाने बावत् अनावेदकगण द्वारा आवेदन–पत्र न्यायालय तहसीलदार चन्देरी के समक्ष पेश किया गया । प्र0क्र0 17/अ–6–अ/2006–07 विधिवत पंजीबद्ध किया गया और दिनांक 27.07.10 को आदेश पारित कर तहसीलदार चन्देरी द्वारा लेख किया गया कि नक्शे की दुरूस्ती प्र0क्र0 1324/बी–121/06–07 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 से पूर्व में की जा चुकी है और इसी आधार पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 27.07.2010 के विरूद्ध अनावेदकगण	

द्वारा अपील अनुविभागीय चन्देरी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें प्र0क्र0 01/अपील/2010–11 पर दर्ज किया गया और आदेश दिनांक 28.12.2011 को अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार चन्देरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाये तथा प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के आदेश दिनांक 28.12.2011 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह उल्लेख किया है कि अनावेदकगण 1 लगायत 4 द्वारा वांछित विषय वस्तु का निराकरण प्र0क्र0 1324/बी–121/06–07 के आदेश दिनांक 22.03.2010 द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपील प्रकरण को कोई औचित्य नहीं है तथा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है । एक विषय–वस्तु के संबंध में एक से अधिक प्रकरण नहीं चलाये जा सकते है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से एक से अधिक प्रकरण एक ही विषय वस्तु के संबंध में तहसीलदार चन्देरी के न्यायालय में प्रचलित होंगे, जिससे अकारण विवादत उत्पन्न होकर जटिलजायें उत्पन्न होंगी ।अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित अपील प्रकरण बिना किसी आधार तथा बिना

किसी विधि के प्रावधानों का पालन किये बिना प्रस्तुत की गई थी, जिस पर किसी प्रकार का विचार किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । आवेदक के अभिभाषक ने तर्क में यह भी बताया है कि अनावेदकगण 1 लगायत 4 ने हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी आवेदक को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की थी । आवेदक आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार था, इस कारण आवेदक स्वयं पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 15.06.2011 को अभिभाषक सहित उपस्थित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है । आलोच्य आदेश दिनांक 28.12.2011 को पारित किया गया है और आवेदक द्वारा उक्त आदेश की प्रतिलिपि हेतु दिनांक 15.02.12 को आवेदन प्रस्तुत किया है । दिनांक 7.3.2012 को प्रतिलिपि प्राप्त होने से यह निगरानी अवधि अंतर्गत प्रस्तुत है । अतः निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 लगा. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पी0के0 तिवारी उपस्थित एवं अनावेदक क्र0 5 की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित हुये । उन्होंने प्रकरण का निराकरण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार चन्देरी ने प्र0क्र0 17/अ–6–अ/06–07

विधिवत पंजीबद्ध किया गया और दिनांक 27.07.10 को आदेश पारित कर अपने आदेश में यह लेख किया कि नक्शे की दुरूस्ती प्र0क्र0 1324/बी–121/06–07 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 से पूर्व में की जा चुकी है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1324/बी–121/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 को अंग मानते हुये प्रचलित प्रकरण में आदेश पारित किया है, जिसमें अनावेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदन–पत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा– 89, 125 एवं 116 के तहत प्रस्तुत कर आवेदन–पत्र में संलग्न मानचित्र अनुसार राजस्व अभिलेख में अक्श बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विविध हेड में प्र0क्र0 1324/बी–121/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 पंजीबद्ध कर प्रकरण में बटवारा एवं दुरूस्ती कर दिया । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.10 त्रुटिपूर्ण होने से अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.12.2011 से निरस्त किया गया है और प्रकरण तहसीलदार चन्देरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही कर विधिनुकूल आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने में कोई

643–दो/1

भूल नहीं की है । अतः अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 28.12.2011 स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य